

अनुमति की शर्तें ।

- (i) भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व निधि नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वगत, जमिंदारता या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रज्जल खिडकी केवल आवासीय उपयोगार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 605, दिनांक 30/06/2020

पार्थी अजिजीत पुरेशिंह डा.बी.सी. ओम प्रकाश

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No 16/2020-पौजासकी

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय इन्फिनिटी बोर्ड

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- जमा

जरिये रसीद संख्या 7069/6760, 6761

दिनांक 30/06/2020 को जमा करा दी है ।

27/07/2020

सहायक नगर निर्माजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+)
आवासीय

आमीर
2/7/2020
985138888 SG